अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

2600
24/6/13

2748
28/6/13

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक अंतर्गत न्यायालय- भूमि सुधार उपसमा०, सदर, दरभंगा।

भूमि विवाद वाद संख्या 57 सन् 2012-14

श्री महेन्द्र मंडल बनाम श्री भोला मंडल।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
20.06.13	**आदेश** सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद श्री महेन्द्र मंडल पे० जागीर मंडल, सा०- अहियारी, थाना- वो- अंचल- केवटी, जिला- दरभंगा द्वारा दायर किया गया है। सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि मौजा- अहियारी, अंचल- केवटी अंतर्गत खाता- 28 (पु०) खेसरा- 1411 (पु०) 3168 (नया) रकबा- 14 धुर अर्थात .03 डी० जमीन वादी द्वारा दिनांक 29.06.1999 के केवाला से खरीदगी जमीन है तथा इस जमीन का रकबा पुराने खतियान में भी 14 धुर ही था। इनके अनुसार प्रश्नगत जमीन का हाल सर्वे खेसरा- 3168 रकबा- 03 डी० अर्थात- 14 धुर का खतियान वादी के पिता के नाम पर बना है। इनके अनुसार खेसरा-1410 (पु०) 3167 (नया) रकबा- 05 धुर जमीन वादी के प्रश्नगत जमीन के दक्षिण / पश्चिम में स्थित है तथा खेसरा 1410 के उत्तर में खेसरा 1411 (पु०) की जमीन है। इनके अनुसार खेसरा- 1411 की जमीन से विपक्षी को कोई सरोकार नहीं है। इनके द्वारा बताया गया कि वादी के प्रश्नगत जमीन से 04 धुर रकबा विपक्षी के हाल खेसरा-3167 में चला गया है। इनका अनुरोध है कि प्रश्नगत खेसरा	

क्रमशः

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	3167 के नक्शा से 04 धुर जमीन काटकर वादी के प्रश्नगत खेसरा 3168 में जोड़ दिया जाय तथा उक्त गलत नक्शा के आधार पर प्रश्नगत जमीन के उपयोग में वादी को अवरोध उत्पन्न करने से विपक्षीगण को प्रतिबंधित किया जाय। साथ ही, प्रश्नगत जमीन के दाग सर्वे नक्शा को संशोधित कर दिया जाय। सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। उनके अनुसार प्रश्नगत जमीन का दाग सर्वे खतियान सही बना है तथा खतियान का अंतिम प्रकाशन भी वर्ष 1998 में ही हो गया है। उनके अनुसार विपक्षी को वादी के खेसरा 1411 (पु0) तथा दाग खेसरा-3168 से कोई सरोकार नहीं है। उनके द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत जमीन पर द0 प्र0 स0 की धारा 145 के अंतर्गत अंतिम रूप से आदेश पारित किया गया है तथा उक्त वाद में वादी द्वारा अपना प्रति-उत्तर भी दायर नहीं किया गया है। उनके अनुसार वादी द्वारा प्रश्नगत जमीन पर बी0 टी0 एक्ट की धारा-106 के अंतर्गत स्वत्व वाद सं0 6104 दायर किया गया था जो दिनांक 03.11.04 को ही समाप्त हो चुका है। उनका अनुरोध है कि वादी के आवेदन को खारिज करते हुए इस वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी जाय। उभय पक्षों को सुनने एवं उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन	

क्रमशः

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक..

.... भूमि विवाद ....वाद संख्या.......... 57 ....सन् 2013-14..........

....बनाम..........................

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमीन पर वादी द्वारा बी० टी० एक्ट की धारा 106 के अंतर्गत वाद दायर किया गया था, जो खारिज हो चुका है। साथ ही, प्रश्नगत जमीन के संबंध में धारा-145 द० प्र०सं० के अंतर्गत भी आदेश पारित है। उपरोक्त स्थिति में प्रस्तुत वाद में इस स्तर से कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त स्थिति में, सम्यक् रूप से विचारोपरांत इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। वादी यदि चाहें तो वे प्रश्नगत जमीन पर अपने दावे के संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय में अपना वाद दायर कर सकते हैं। लेखापित। 20/6/17 भूमि सुधार उप समा०, सदर, दरभंगा। 20/6/17 भूमि सुधार उप समा०, सदर, दरभंगा।	